कार्यालय प्रमुख आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर, भोपाल
४८, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS, CENTRAL EXCISE & SERVICE TAX,
48, ADMINISTRATIVE AREA, ARERA HILLS, HOSHANGABAD ROAD, BHOPAL

विषय/ Sub: Revised guidelines for disposal of confiscated goods –reg.

जन सूचना सं./ PUBLIC NOTICE NO. 03/2016-17-CUSTOMS **DATED 23.09.2016**

1- उपर्युक्त विषय पर केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की फा.सं 711/01/2006–Cus (AS) (Pt.) से जारी परिपत्र सं. 39/2016–Customs दिनांक 26.08.2016 की प्रति व्यापार एवं क्षेत्रीय संगठन को सूचना एवं मार्गदर्शन हेतु इसके साथ संलग्न की जाती है। उक्त परिपत्र स्वत: स्पष्ट है।

A copy of Circular No. 39/2016–Customs dated 26.08.2016 from F.No. 711/01/2006–Cus (AS) (Pt.) issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise and Customs, New Delhi on the above subject matter, is enclosed herewith for information and guidance for the trade and field formation. The said circular is self explanatory.

2– सभी व्यापार संघ / वाणिज्य मण्डल एवं क्षेत्रीय सलाहकार समिति / लोक शिकायत निवारण समिति के सदस्यो से अनुरोध किया जाता है कि वे इस व्यापार सूचना की अंतर्वस्तु को अपने सदस्यो संघठको की सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उनके ध्यान में लाएँ / प्रचार करें ।

All the Trade Associations / Chambers of Commerce and the members of the RAC / PGRC are requested to bring /publicize the contents of this Trade Notice amongst their Members/ Constituents for their information and necessary action.

फा.सं.IV(16) 65/Tech/GD/BPL/16-17/ 2067 dated 23.09.2016

संलग्न Encl. यथोपरि As above.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to:–1. मुख्य आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर, भोपाल ।

2 उप आयुक्त / सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क एवं सेवाशुल्क, मण्डल- सेवाशुल्क- भोपाल, भोपाल-I, भोपाल-II, सागर-I, सागर-II. आई. सी. डी. मंडीदीप ।

3 श्री जयंत धिरनिकर, निरीक्षक (सिस्टम्स) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क एवं सेवाशुल्क, मुखयालया भोपाल को विभागीय वेबसाइट में दर्ज करने हेतु।

4 सभी व्यापार संघ / वाणिज्य मण्डल एवं क्षेत्रीय सलाहकार समिति, भोपाल जोन ।

5. वेबमास्टर, मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर, भोपाल को विभागीय वेबसाइट में दर्ज करने हेतु ।

6. गार्ड फाइल हेतु प्रेषित है ।

(हेमंत ए. भट)
(Hemant A. Bhat)
प्रमुख आयुक्त/Principal Commissioner

(39)

Circular No. 39/2016-Customs

F.No. 711/01/2006-Cus(AS)/Pt.
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise & Customs
*****

New Delhi, the 26th August, 2016

To

All Principal Chief Commissioners/Chief Commissioners of Customs
All Principal Chief Commissioners/Chief Commissioners of Customs & Central Excise
All Principal Director Generals/Director Generals/Chief Departmental Representatives (CESTAT)
All Commissioners of Customs/Customs (Preventive)
All Commissioners of Customs and Central Excise.
webmaster.cbec@icegate.gov.in

Sir/Madam,

Subject: Revised guidelines for disposal of confiscated goods - regarding.

I am directed to invite your attention to the Board's Circular No. 11/2012-Customs dated 12th April, 2012 and the earlier instructions issued to the field formations vide Board's letters F. No. 711(7)/53-Cus. (AS) dated 27.5.1993, F. No.30/33/67-LC.I dated 19.1.68 and F.No.30/3/64-LC.I dated 10.2.1964 in the matter of disposal of confiscated/seized goods.

2. Prior to February, 2015, preferential treatment was being given to NCCF/Kendriya Bhandar and other multi-State Cooperative Societies as per the instructions of Department of Personnel and Training (DoP&T) in purchase of stationery and other articles. Vide DoP&T's Office Memorandum No. 14/1/2009-Welfare dated 19.2.2015, the special dispensation available to these Cooperatives/organizations was discontinued w.e.f. 1.4.2015.

3. The Board had earlier received a number of requests from the trade for equitable and wider participation of cooperative societies which are duly registered with the State/Central Government authorities and not to make a particular body monopolistic, in sourcing the confiscated goods being disposed of by the department. Moreover, this Department also received several representations from NCCF/Kendriya Bhandar seeking clarification with regard to the eligibility of rebate/uniformity of rate of rebate on the disposal of confiscated goods.

4. In view of the changed scenario, the current practices being followed in the field formations, the representations of the stake holders and the latest instructions issued by DoP&T have been considered and deliberated in depth by the Board. Accordingly, the following instructions are issued with regard to disposal of confiscated goods through NCCF/Kendriya Bhandar and other Consumer cooperatives:-

4.1. **Sale through Army Canteen/CSD**: There shall be no change in the criteria adopted by the field formations in respect of disposal through Army Canteen/CSD and therefore, the existing instructions contained in Circular No. 11/2012-Cus dated 12.4.2012 shall continue to be followed in such cases.

4.2. **Sale through NCCF/KB/consumer Cooperatives**: Any lot of **confiscated/seized consumer goods,** which is ripe for disposal and whose value does **not exceed Rs. Five lakh,** shall be offered to NCCF/KB/Other Central Government Employees Consumer Cooperative Society/ Multi-State Consumer Cooperative Societies/State Consumer Cooperatives, **at a uniform rebate/discount of 10%, subject to the following conditions**:-

(a) They should be functional for at least 10 preceding years and should submit Income-Tax returns and VAT/ST returns showing their activities in sale of goods to the consumers and that appropriate taxes have been duly paid and relevant laws/rules and regulations are complied with.

(b) Only those Co-operative Societies or National/State level Cooperative Federations that are duly verified and certified as genuine, every year by an officer not below the rank of AC/DC, and those that have been duly registered under Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 or concerned State Cooperatives Act, should be permitted to purchase the confiscated/seized goods. The genuineness of co-operative societies/federation may also be verified through concerned Commissionerates or other field formations of this department, wherever required.

(c) They should be obliged to sell such seized/confiscated goods directly to bonafide consumers.

(d) No pick and choose of items would be allowed.

(e) Seized/confiscated consumer goods shall be offered on first come first served basis.

(f) Complete accounts may be called for scrutiny by the department as and when necessary, to ensure that the seized/confiscated goods, which are sensitive to smuggling are not misused; or to verify that their disposal has not been made to a single party/ individual; or to ensure that sale has not been made to any persons where in purchase vouchers etc., had been misused by unscrupulous elements in legitimizing smuggling.

4.3. This Circular modifies the rate of rebate/discount to the extent by superceding the earlier Board's circulars/instructions issued vide; No. 21/23/55-Cus-IV dated 8.12.1956, 4/63/57-Cus.III dated 7.9.1961, No.30/3/64-L.C.I dated 10.2.1964, No. 30/33/67-L.C.I dated 19.1.1968, No. 549/86/79-L.C.I dated 27.2.1981, No. 711/20/83-LC(AS) dated 10.8.83 and No. 711/1/2006-Cus(AS) dated 20.2.2006, only insofar provisions of rebate/discount to NCCF/KB/other cooperatives contained in these Circulars are concerned. Rest of the instructions/guidelines, contained in these earlier Circulars, which are prevalent as on date and are not getting modified/affected by way of this Circular, shall continue to be followed.

5. **Sale through e-auction/auction cum tender**: Any lot of confiscated/seized goods of all types and confiscated/seized consumer goods whose value exceeds Rs. Five lakhs shall not be sold directly to the aforesaid cooperative Societies/Federation and shall be sold by e-auction or auction-cum-tender basis. In such e-auction or auction-cum-tender process, all stakeholders/persons including NCCF/KB/other Central Government employees consumer cooperatives/Multi-State/State cooperatives or National/State level Cooperative Federations can also participate, subject to the fulfilment of conditions as prescribed vide Board's Circular No.50/2005-Customs dated 1.12.2005 and reflected in Circulars No.12/2006-Customs dated 20.2.2006 and 11/2012-Customs dated 12.4.2012. **However, No discount/rebate shall be available to any organization/Cooperative for the goods disposed through E-Auction/Auction-cum-Tender.**

5.1. CVC has been emphasizing on e-commerce/e-procurement/e-sales for enhancing transparency, giving equal opportunities to all. Accordingly, CVC vide Office Order No.46/9/03 dated 11th September 2003 (No.98/ORD/1) has stated that the departments/ organizations may themselves decide on e-procurement/reverse auction for purchases or sales and work out the detailed procedure in this regard. It has, however, to be ensured that the entire process is conducted in a transparent and fair manner.

5.2. Board had earlier appointed a Task Force to examine the various issues arising out of the audit review, and to suggest effective measures to put in place a permanent mechanism for expeditious disposal of cargo including confiscated/seized goods. Based on the recommendations of a Task Force, Board had streamlined the procedure for disposal of goods which inter-alia include its approval for setting up of a centralized e-auction portal by engaging the services of M/s. MSTC Ltd. Mumbai, a PSU under the Ministry of Steel. This e-auction procedure had been in force for quite some time and it had facilitated expeditious disposal of goods by the field formations. Detailed instructions and guidelines on this procedure are already available in MSTC website, which specifically hosts e-auctions for Customs and Central Excise department regularly. It is hereby reiterated that E-auction or auction-cum-tender prescribed vide Board's Circular No.50/2005-Customs dated 1.12.2005 and reiterated in Circulars No.12/2006-Customs dated 20.2.2006 and 11/2012-Customs dated 12.4.2012, may continue to be utilised in respect of confiscated/seized goods.

6. The above instructions may be followed by all the Customs field formations with immediate effect.

7. These instructions may be brought to the notice of all concerned immediately through appropriate Public Notice.

8. Receipt of this Circular may kindly be acknowledged.

F. No. 711/01/2006-Cus(AS)/Pt.

ACMallick

(A.C. Mallick)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 011-26177328
Email: acmallick@nic.in

(86)

परिपत्र संख्या. 39/2016-सी. शु.

फा.सं.711/01/2006-सी.शु./(ए.एस.)/खंड
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड
*****

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त, 2016

सेवा में,

सीमाशुल्क के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त
सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त
सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक/मुख्य विभागीय प्रतिनिधि (सेस्टैट)
सीमाशुल्क/सीमाशुल्क (निवारक) के सभी आयुक्त
सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पादशुल्क के सभी आयुक्त
webmaster.cbec@icegate.gov.in

महोदय/महोदया,

विषय: जब्त माल के निपटान के लिए संशोधित दिशानिर्देश - के बारे में।

मुझे आपका ध्यान पकड़े/जब्त किए गए माल के निपटान के मामले में बोर्ड के दिनांक 12 अप्रैल, 2012 के परिपत्र संख्या 11/2012-सीमाशुल्क तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को बोर्ड के दिनांक 27.5.1993 के पत्र फा.सं 711(7)/53-सीमाशुल्क(एएस), दिनांक 19.01.1968 के फा.सं.30/33/67-एलसी.I तथा दिनांक 10.02.1964 के फा.सं.30/3/64-एल.सी.I के तहत पूर्व में जारी अनुदेशों की ओर आकर्षित करने के निदेश मिले हैं।

2. फरवरी, 2015 से पूर्व, लेखन सामग्री एवं अन्य वस्तुओं की खरीद में एनसीसीएफ/केंद्रीय भंडार और अन्य बहु-राज्यीय सहकारी समितियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएण्डटी) के अनुदेशों के अनुसार व्यवहारिक प्राथमिकता दी जाती थी। डीओपीएण्डटी के दिनांक 19.2.2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/1/2009-कल्याण के द्वारा, इन सहकारी समितियों/संगठनों को उपलब्ध विशेष व्यवस्था 01.04.2015 प्रभाव से खत्म कर दी गई थी।

3. बोर्ड को व्यापार जगत से विभाग द्वारा निपटाए जा रहे जब्त माल के इन सोर्सिंग के सम्बंध में, राज्य/केंद्रीय सरकार के प्राधिकरणों के साथ यथा पंजीकृत सहकारी समितियों को, तथा किसी विशेष निकाय को एकाधिकार प्राप्त न बनाने हेतु, समान एवं विस्तृत भागीदारी के लिए पूर्व में अनेक अनुरोध प्राप्त हुए थे। इसके अलावा, विभाग को एनसीसीएफ/केंद्रीय भंडार से अनेक अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं जिनमें जब्त माल के निपटान पर छूट/छूट की दर में समानता सम्बंधी पात्रता के बारे में स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

4. परिवर्तित परिदृश्य के मद्देनज़र, क्षेत्रीय कार्यालयों में अपनाई जा रही मौजूदा प्रथाओं, हिस्सेदारों के अभ्यावेदनों और डीओपीएण्डटी द्वारा जारी अद्यतन अनुदेशों पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया एवं उन पर गहनता से विचार-विमर्श किया गया है। तदनुसार, जब्त माल के एनसीसीएफ/केंद्रीय भंडार और अन्य ग्राहक सम्बंधी सहकारी समितियों के माध्यम से निपटान के सम्बंध में निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जाते हैं :-

4.1. **आर्मी कैंटीन/सी.एस.डी के माध्यम से बिक्री**: आर्मी कैंटीन/सी.एस.डी के माध्यम से निपटान के सम्बंध में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अपनाए जा रहे मापदण्डों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसलिए, ऐसे मामलों में दिनांक 12.04.2012 के परिपत्र संख्या 11/2012-सीमाशुल्क में निहित मौज़ूदा अनुदेशों का अनुपालन जारी रहेगा।

4.2. **एन.सी.सी.एफ/केंद्रीय भंडार/ग्राहक सम्बंधी सहकारी समितियों के माध्यम से बिक्री**: पकड़े/जब्त किए गए उपभोक्ता माल की कोई भी खेप जो निपटान हेतु तैयार हो और जिसका मूल्य **पांच लाख रुपए से अधिक नहीं हो** तो उसे, **निम्नलिखित शर्तों के अधीन, 10% की समान छूट/कटौती पर** एनसीसीएफ/के.बी./अन्य केंद्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समितियों/बहु-राज्यीय उपभोक्ता सहकारी समितियों/राज्यीय उपभोक्ता सहकारी समितियों को प्रस्तुत किया जाएगा:-

(क) वे कम से कम 10 पूर्ववर्ती वर्षों से क्रियाशील हों तथा उन्होंने उपभोक्ताओं को माल की बिक्री सम्बंधी उनकी गतिविधियों को दर्शाने वाली आयकर विवरणियां एवं वीएटी/एसटी विवरणियां भरी हों तथा यह भी कि उन्होंने समुचित करों का उचित भुगतान कर दिया हो और संगत कानूनों/नियमों और विनियमों का पालन किया हो।

(ख) केवल उन सहकारी समितियों अथवा राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय सहकारी संघों जिनकी यथार्थता प्रत्येक वर्ष किसी अधिकारी द्वारा जो एसी/डीसी के पद से नीचे का न हो, यथा सत्यापित एवं प्रमाणित की जाती हो, तथा उन्हें जिन्हें बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 अथवा सम्बंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत यथा पंजीकृत किया गया हो, को पकड़े/जब्त किए गए माल को खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए। जहां कहीं अपेक्षित हो, सहकारी समितियों/संघों की यथार्थता इस विभाग के सम्बंधित आयुक्तालयों अथवा अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से भी सत्यापित की जाए।

(ग) वे ऐसे पकड़े/जब्त किए गए माल को सीधे तौर पर वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचने के लिए बाध्य होने चाहिए।

(घ) वस्तुओं को सोच-विचारकर चुनने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

(ड) पकड़े/जब्त किए गए उपभोक्ता माल को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(च) जब कभी आवश्यक हो, विभाग द्वारा सम्पूर्ण खातों को जांच के लिए मांगा जा सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पकड़ा/जब्त किया गया माल, जो तस्करी के लिए संवेदनशील है, का दुरुपयोग न हो; अथवा यह सत्यापित करने के लिए कि उन्हें किसी एक ही समूह/व्यक्ति को नहीं दिया गया है; अथवा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिक्री किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को न की गई हो जहां खरीद के बिलों आदि का अनैतिक तत्वों द्वारा तस्करी को वैध बनाने के लिए दुरुपयोग किया गया हो।

4.3. यह परिपत्र पूर्व में बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों/अनुदेशों संख्या 21/23/55-सीमाशुल्क-IV दिनांक 8.12.1956, 4/63/57-सीमाशुल्क.III दिनांक 7.9.1961, संख्या 30/3/64-एल.सी.I दिनांक 10.2.1964, संख्या 30/33/67-एल.सी.I दिनांक 19.1.1968, संख्या 549/86/79-एल.सी.I दिनांक 27.2.1981, संख्या 711/20/83-एल.सी(ए.एस.) दिनांक 10.8.83 तथा संख्या 711/1/2006-सीमाशुल्क(ए.एस.) दिनांक 20.2.2006 का अधिक्रमण करते हुए छूट/कटौती की दर का केवल उस सीमा तक संशोधन करता है, जहां तक इन परिपत्रों में निहित एनसीसीएफ/के.बी/अन्य सहकारी समितियों को छूट/कटौती के प्रावधानों का सम्बंध है। पहले के इन परिपत्रों में निहित शेष अनुदेश/दिशानिर्देश जो आज की तारीख तक प्रचलित हैं तथा इस परिपत्र से उन पर कोई प्रभाव/उनमें कोई संशोधन नहीं हो रहा है, उनका अनुपालन जारी रहेगा।

5. **ई-नीलामी/निविदा-सह-नीलामी के माध्यम से बिक्री:** सभी प्रकार के पकड़े/जब्त किए गए माल की कोई भी खेप तथा पकड़ा/जब्त किया गया उपभोक्ता माल जिसका मूल्य पांच लाख रुपए से अधिक है, उसे उपरोक्त सहकारी समितियों/संघ को सीधे तौर पर नहीं बेचा जाएगा और उसे ई-नीलामी अथवा निविदा-सह-नीलामी के आधार पर बेचा जाएगा। ई-नीलामी अथवा निविदा-सह-नीलामी की ऐसी प्रक्रिया में, एनसीसीएफ/के.बी/अन्य केंद्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समितियों/बहु-राज्यीय/राज्यीय सहकारी समितियों अथवा राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय सहकारी संघों सहित सभी भागीदार/व्यक्ति भी, बोर्ड के परिपत्र संख्या 50/2005-सीमाशुल्क दिनांक 1.12.2005 के द्वारा यथा निर्धारित एवं परिपत्र संख्या 12/2006-सीमाशुल्क दिनांक 20.2.2006 और 11/2012-सीमाशुल्क दिनांक 12.4.2012 में दर्शाई गई शर्तों की पूर्ति के शर्ताधीन, भाग ले सकते हैं। **तथापि, ई-नीलामी/निविदा-सह-नीलामी के माध्यम से निपटाए गए माल पर किसी भी संगठन/सहकारी समिति को कोई भी छूट/कटौती उपलब्ध नहीं होगी।**

5.1. सीवीसी पारदर्शिता में वृद्धि के लिए ई-वाणिज्य/ई-खरीद/ई-बिक्री पर ज़ोर देते रहे हैं, जिससे सभी को समान अवसर मिलें। तदनुसार, सी.वी.सी ने दिनांक 11 सितम्बर 2003 के कार्यालय आदेश संख्या 46/9/03 (संख्या 98/ओआरडी/1) के द्वारा कहा है कि विभाग/संगठन ई-खरीद/खरीद हेतु उल्टी नीलामी अथवा बिक्री के सम्बंध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बंध में विस्तृत प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी एवं साफ-सुथरे ढंग से संचालित हो।

5.2. बोर्ड ने लेखापरीक्षा समीक्षा से उत्पन्न होने वाले विभिन्न मदों की जांच के लिए तथा पकड़े/जब्त किए गए माल सहित कार्गो के शीघ्र निपटान हेतु एक स्थाई तंत्र तैयार करने के लिए प्रभावशाली उपायों का सुझाव देने हेतु पूर्व में एक कार्यदल की नियुक्ति की थी। कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर, बोर्ड ने माल के निपटान की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस्पात मंत्रालय के अधीन मै. एमएसटीसी लि.,मुम्बई नामक एक पीएसयू की सेवाएं प्राप्त करके एक केंद्रीकृत ई-नीलामी पोर्टल की स्थापना के लिए उसका अनुमोदन शामिल है। यह ई-नीलामी प्रक्रिया काफी समय से लागू थी तथा इससे क्षेत्रीय कार्यालयों को माल के शीघ्र निपटान में सहायता मिली थी। इस प्रक्रिया के सम्बंध में विस्तृत अनुदेश एवं दिशानिर्देश एमएसटीसी की वेबसाइट, जो विशेष रूप से सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क विभाग के लिए नियमित तौर पर ई-नीलामी आयोजित करता है, में पहले ही उपलब्ध हैं। एतद्द्वारा यह दोहराया जाता है कि पकड़े/जब्त किए गए माल के सम्बंध में बोर्ड के परिपत्र संख्या 50/2005-सीमाशुल्क दिनांक 1.12.2005 के द्वारा निर्धारित तथा परिपत्र संख्या 12/2006-सीमाशुल्क दिनांक 20.02.2006 और 11/2012-सीमाशुल्क दिनांक 12.4.2012 में दोहराई गए ई-नीलामी अथवा निविदा-सह-नीलामी का उपयोग जारी रखा जाए।

6. सीमाशुल्क के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उपरोक्त अनुदेशों का तुरंत प्रभाव से अनुपालन किया जाए।

7. समुचित सार्वजनिक नोटिस के जरिए इन अनुदेशों को सभी संबंधितों के ध्यान में तुरंत लाया जाए।

8. कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

फा.सं.711/01/2006-सी.शु./(ए.एस.)/खंड

आनंद

(ए.सी.मलिक)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन सं. 011-26177328
Email: acmallick@nic.in